प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान,
सैफई इटावा ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 28 मई, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में संस्थान के अंतर्गत निर्माणाधीन इमरजेंसी ट्रामा एवं बर्न सेन्टर में फर्नीचर की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2432/रिम्सएण्डआर/2014-15 दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में संस्थान के अंतर्गत निर्माणाधीन इमरजेंसी ट्रामा एवं बर्न सेन्टर में फर्नीचर की स्थापना हेतु रू0 6,80,98,000/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में रू0 3,40,49,000/- (रूपया तीन करोड चालीस लाख उन्चास हजार मात्र) की धनराशि को निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।
2. निदेशक यह सुनिश्चित करेगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा।
3. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संस्थान की होगी।
4. निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
5. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
6. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
7. प्रायोजनान्तर्गत फर्नीचर की स्थापना हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त की जायेगी। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिड्यूल आफ रेट उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है, अत: संस्थान से यह अपेक्षा की जाती है कि इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।
8. संस्थान द्वारा बाजार/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित प्रोपराइटरी संबंधी कार्यमदों पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकता एवं उच्च गुणवत्ता के साथ सम्पादित कराया जाय एवं इन मदों पर वास्तविक व्यय ही देय होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व संस्थान का होगा।
9. चूंकि प्रश्नगत प्रायोजना में इमरजेंसी ट्रामा सेन्टर व बर्न सेन्टर में फर्नीचर सम्बन्धी कार्य कराया जाना है, अत: संस्थान स्तर से इसकी आवश्यकता एवं औचित्य का परीक्षण किये जाने हेतु एक कमेठी गठित किया जाना अपेक्षित है, जिसकी देख-रेख में प्रस्तावित कार्यो को कराया जाना होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

10. प्रायोजना में प्रस्तावित मात्राओं तथा प्राविधानों को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व संस्थान/कार्यदायी संस्था का होगा।
11. उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो इसे संस्थान अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।
12. वित्त बजट-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2015 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, आर0आई0एम0एस0, सैफई इटावा द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक-"4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा,शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-05-रूरल इन्स्टीटयूट आफ मेडिकल साइंसेज, सैफई इटावा-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-3/771/दस-2015, दिनांक 20 मई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

संख्या-52/2015/1060(1)/71-2-15-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, इटावा।
3. वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, आर0आई0एम0एस0 सैफई इटावा।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0
8. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।